न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी   राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या- 345 / 2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या 53 आर.टी.ए.

1. गुरजण्ट सिंह पुत्र सुखमन्दर सिंह जाति सुथार निवासी नगराना
2. प्रमन्ट सिंह पुत्र सुखमन्दर सिंह जाति सुथार निवासी नगराना

वादी

बनाम

1. आत्माराम पुत्र देवसीराम जाति जाट निवासी नगराना
2. हरलाल पुत्र काशीराम जाति स्वामी निवासी फकीरवाली हाल हनुमानगढ़ जंक्शन
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नगराना
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री नवरतन स्वामी अधिवक्ता – वादीगण
2. श्री कन्हैयालाल स्वामी अधिवक्ता– प्रतिवादी सं. 1 व 2

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार है वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 ता 2 संयुक्त खाता चक 5 एनजीआर खाता संख्या 6 / 4 के खातेदार काश्तकार है। जिसमे वादीगण का कुल खाता 3.319 हे. मे से 1002 / 3319 हिस्सा यानि 1.002है. की खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबंदी हमराह दावा प्रस्तुत है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अर्सा दराज पूर्व घरू तौर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरू बंटवारा के वादीगण के हिस्सा मे निम्न प्रकार मे भूमि हिस्सा में आई है।

1. वादीगण के हिस्सा की कब्जाकाश्त निम्न प्रकार है:–

चक	खाता सं	प.नं.	मु.नं.	किला नं.	
5 एनजीआर	6 / 4	172 / 216	31	12 / 0.240	18,19,23 / 0.759है.
				कुल 0.999है.	

अ. प्रतिवादी सं. 1 आत्माराम चक नं. 5 एन.जी.आर खाता सं. 6 / 4 में कुल खाता 3.319है. में से 2166 / 3319 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं. 1 का वादीगण एवं अन्य प्रतिवादी के साथ घरूतौर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक ... के वादीगण के हिस्सा में निम्न प्रकार से भूमि आई है:–

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
172 / 215	26	3 / 1 / 0.228है., 3 / 2 / 0.025है. गै.मु. रास्ता
		4 / 1 / 0.228है., 4 / 2 / 0.025है. गै.मु. रास्ता
		5 / 1 / 0.202है., 5 / 2 / 0.026है. गै.मु. रास्ता 5 / 3 / 0.025है. गै.मु. खाला

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.05.21 16:04:24 I
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

6/1/0.228है. 6/2/0.025है गै.मु. खाला
4,8,13,14/1.012है., 18/1/0.094है.

173/215 25 1/2/0.025है. गै.मु. रास्ता, 2/3/0.025है. गै.मु. रास्ता
कुल 2.168है. नहरी मय गै.मु.

ब. प्रतिवादी सं. 2 हरलाल चक नं. 5 एन.जी.आर. खाता सं. 6/4 में कुल खाता 3.319है. में से 152/3319 हिस्सा यानि 0.152है. का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं. 2 का वादी एवं अन्य प्रतिवादी के साथ घरुतौर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरुबंटवारा के वादी के हिस्सा में प.नं. 173/215 मु.नं. 25 कि.नं. 2/2/0.013है., 9/2/0.139है. कुल 0.152है. नहरी कृषि भूमि हिस्सा में आई।

घरु बंटवारा मुताबिक हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि पर वादीगण न काफी पैसे खर्च कर व मेहनत कर भूमि सुधार किया व उसे काश्त योग्य बनाया है। इसलिए घरु बंटवारा मुताबिक हक हिस्सा में आई कृषि भूमि के वादीगण खाता तकसीम करवा कर रकम राज अलग से कायम करवाने के हकदार एवं दावेदार है। वादीगण ने कई दफा प्रतिवादीगण से अनुनय विनय की कि घरु बंटवारा मुताबिक हक हिस्सा में आई कृषि भूमि का खाता तकसीम करवा कर रकम राज अलग से कायम करवा लेवे किंतु प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे एवं अंत में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इनकार कर दिया बस यही विनाय दावा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में सीवंबट एवं रकमराज का सदैव ही झगड़ा बना रहता है। इसलिए वादीया घरु बंटवारा मुताबिक हक हिस्सा में आई कृषि भूमि का खाता तकसीम करवा कर रकम राज अलग से कायम करवाना चाहते है। यदि घरु बंटवारा मुताबिक हक हिस्सा में आई कब्जा काश्त भूमि का खाता तकसीम नही किया गया तो वादीया को कभी भी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन से नहीं हो सकेगी। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को सांझा खाता के खातेदार होने के कारण व प्रतिवादी सं. 3 को बैंक प्रतिनिधि होने के कारण व प्रतिवादी सं. 4 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी सं. 4 से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। जो माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसका वादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी राजपैरोकार की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 5 व 6 ने जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने दावा में दर्ज वादीया गुड्डी देवी से उसका समस्त हिस्सा जरिए बैयनामा खरीद कर लिया है इसलिए प्रार्थीगण को दावा में बतौर वादीगण दर्ज करवाने का निवेदन किया। अनुमति दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 16:04:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वाद पत्र का कोई विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई व बहस वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 वा 2 सह काश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 2 ने घरू बंटवारा में अपनी मर्जी के अनुसार कब्जा कर कृषि भूमि प्राप्त कर रहे है। वाद पत्र का कोई विरोध नहीं है। अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर पक्षकारों का राजस्व रिकार्ड में खाता अलग कायम कर रकबा अलग कायम करने का आदेश देवे। प्रतिवादी संख्या 1 वा 2 के अधिवक्ता ने जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री करने पर सहमति दौरान बहस दी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मौजा चक 5 एन.जी.आर. खाता सं. 6/4 ज.म. 2072 75 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से साझा खाता में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है। वाद पत्र का कोई विरोध नहीं है। मुताबिक वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 खाता विभाजन के अधिकारी है। अतः घरू बंटवारा के मुताबिक खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:–

1. वादीगण के हिस्सा की कब्जाकाश्त निम्न प्रकार है:–

चक	खाता सं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.	
5 एनजीआर	6/4	172/216	31	12/0.240	18,19,23/0.759है.
				कुल 0.999है.	

अ. प्रतिवादी सं. 1 आत्माराम चक नं. 5 एन.जी.आर खाता सं. 6/4 में कुल खाता 3.319है. में से 2166/3319 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं. 1 का वादीगण एवं अन्य प्रतिवादी के साथ घरूतौर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरूबंटवारा के वादीगण के हिस्सा में निम्न प्रकार से भूमि आई है:–

प.नं.	मु.नं.	किला न.
172/215	26	3/1/0.228है., 3/2/0.025है. गै.मु. रास्ता
		4/1/0.228है., 4/2/0.025है. गै.मु. रास्ता
		5/1/0.202है., 5/2/0.025है. गै.मु. रास्ता 5/3/0.025है. गै.मु. खाला
		6/1/0.228है., 6/2/0.025है. गै.मु. खाला
		4,8,13,14/1.012है., 18/1/0.094है.
173/215	25	1/2/0.025है. गै.मु. रास्ता, 2/3/0.025है. गै.मु. रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 15:04:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

कुल 2.168है. नहरी मय मेमू

प्रतिवादी सं. 2 इस्लाम खां नं. 5 एल.जी.आर. खाता सं. 6/4 मे कुल खाता 3.319है. मे से 152/3319 हिस्सा यानि 0.152है. का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं. 2 का वादी एव अन्य प्रतिवादी के साथ मरूजीर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक मरूजबंटवारा वादी के हिस्सा मे मु.न. 173/215 मु.न. 25 किता 2/2/0.013है., 9/2/0.139है. [illegible] 0.152है. नहरी कृषि भूमि आई।

[illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी [illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने व मुल्ही देवी का नाम कलमजद करने के आदेश [illegible] जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निज X मुवक्किल X बाबत 100/- खर्चा मुकदमे के मय सूद बा शरह [illegible]सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक X को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.05.2024 को खुले [illegible]यालय में जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.05.21 15:04:24 I
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 53 आरटीए
प्रकरण संख्या:– 345 / 2023

1. गुरजण्ट सिंह पुत्र सुखमन्दर सिंह जाति सुथार निवासी नगराना
2. प्रमन्ट सिंह पुत्र सुखमन्दर सिंह जाति सुथार निवासी नगराना

वादी

बनाम्

1. आत्माराम पुत्र देवसीराम जाति जाट निवासी नगराना
2. हरलाल पुत्र काशीराम जाति स्वामी निवासी फकीरवाली हाल हनुमानगढ जंक्शन
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नगराना
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कन्हैयालाल स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है:–

1 वादीगण के हिस्सा की कब्जाकाश्त निम्न प्रकार है:–

चक	खाता सं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
5 एनजीआर	6 / 4	172 / 216	31	12 / 0.240 18,19,23 / 0.759है.

कुल 0.999है.

अ. प्रतिवादी सं. 1 आत्माराम चक नं. 5 एन.जी.आर खाता सं. 6 / 4 में कुल खाता 3.319है. में से 2166 / 3319 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं 1 का वादीगण एवं अन्य प्रतिवादी के साथ घरूतौर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरूबंटवारा के वादीगण के हिस्सा में निम्न प्रकार से भूमि आई है:–

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
172 / 215	26	3 / 1 / 0.228है., 3 / 2 / 0.025है. गै.मु. रास्ता
		4 / 1 / 0.228है., 4 / 2 / 0.025है. गै.मु. रास्ता
		5 / 1 / 0.202है., 5 / 2 / 0.026है. गै.मु. रास्ता 5 / [illegible] 0.02[illegible] गै.मु. खाला
		6 / 1 / 0.228है., 6 / 2 / 0.025है. गै.मु. खाला
	7 ④	8,13,14 / 1.012है., 18 / 1 / 0.094है.
173 / 215	25	1 / 2 / 0.025है. गै.मु. रास्ता, 2 / 3 / 0.025है. गै.मु. रास्ता
		कुल 2.168है. नहरी मय गै.मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 15:04:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

ब. प्रतिवादी सं. 2 हरलाल बक नं 5 एन.जी.आर. खाता सं. 6/4 मे कुल खाता 3.319है. में से 152/3319 हिस्सा यानि 0.152है. का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं. 2 का वादी एवं अन्य प्रतिवादी के साथ घरुतौर पर बंटवारा हो चुका है। मुताबिक घरुबंटवारा के वादी के हिस्सा मे प.नं. 173/215 मु.नं. 25 कि.नं. 2/2/0.013है., 9/2/0.139है. कुल 0.152है. नहरी कृषि भूमि आई

उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने व गुड्डी देवी का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज X नज X मुब्लिक X निल X बावत X निल 100/ खर्चा मुकदमें के मय सूद बा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.05.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 15:04:24 IST
Reason: SelfAttested